CGBB060011122021

केश नंबर 796/2021 // 1 // शासन बनाम राजपाल उर्फ विक्की

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	निर्णय का शीर्षक	2
2	अधिवक्ता की उपस्थिति	3
3	आरोप	5
4	स्वीकृत तथ्य	5
5	अभियोजन कहानी	6-7
6	आरोपी की प्रतिरक्षा	8
7	अवधारणीय प्रश्न	6-7
8	कारण और निष्कर्ष	7-8
9	सजा	-
10	निरोध अवधि एवं सेट ऑफ	-
11	संपत्ति का व्ययन	8
12	मुआवजा/प्रतिकर का आदेश	-
13	धारा 428 द०प्र०सं का प्रमाण पत्र	10
14	सजा में प्रतिबद्धता का वारंट (कारावास या अर्थदण्ड)	**दोषमुक्त**
15	निर्णय की प्रति	अभियोजन को दी गयी

सत्यमेव जयते — न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भटगांव, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

sd/- 20/01/26

पुनीत राम गुरुपंच
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भटगांव, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

फार्म डी

न्यायालय– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भटगांव जिला रायगढ (छ.ग.) (पीठासीन अधिकारी– पुनीत राम गुरुपंच)
निर्णय दिनांक– 20/07/2026 दांडिक प्रकरण क्रमांक 796/2021 अपराध क्रमांक 259/2021 आरक्षी केन्द्र– सरसीवा धारा– 34(2) आबकारी अधिनियम 1915

शिकायतकर्ता	छत्तीसगढ़ राज्य (आबकारी उपनिरीक्षक क्रमॉक फागुराम टंडन)
राज्य की ओर से	ए.डी.पी.ओ. ।
अभियुक्त	राजपाल उर्फ विक्की रात्रे पिता मनोहर रात्रे , उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम– गाड़ापाली , थाना सरसीवा जिला – बलौदाबाजार वर्तमान जिला सारंगढ बिलाईगढ (छ.ग.)
अभियुक्त की ओर से	श्रीविजय देवांगन अधिवक्ता।

पुनीत राम गुरुपंच
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भटगांव, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

CGBB060011122021

फार्म – ई

घटना दिनांक	25/09/2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	25/09/2021
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	17/12/2021
आरोप विरचित दिनांक	11/09/2024
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	08/04/2025
निर्णय सुरक्षित रखने का दिनांक	–
निर्णय की तिथि	20/07/2026

अभियुक्त का विवरण

क्र.	आरोपी का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर मुक्त होने का दिनांक	आरोपित अपराध	दोषमुक्ति या दोषसिद्धी	दी गई सजा	धारा 468 BNS के प्रयोजन के लिये विचारण के दौरान की निरोध की अवधि
1	राजपाल उर्फ विक्की रात्रे पिता मनोहर रात्रे , उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम– गाड़ापाली , थाना सरसीवा जिला	28/09/2021	30/09/2021	34(2) छ.ग. आबकारी अधिनियम	दोषमुक्त	निरंक	02 दिवस

20/07/26

पुनीत राम गुरुपंच
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भटगांव, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

CGBB060011122021

	सारंगढ बिलाईगढ (छ.ग.)						

परीक्षित साक्षियों का चार्ट

अभियोजन साक्षी क्र.	साक्षी का नाम	विवरण
01.	बालाराम रात्रे	चक्षुदर्शी साक्षी/जप्ती साक्षी
04.	सुकलाल अजय	चक्षुदर्शी साक्षी/जप्ती साक्षी

प्रदर्शित दस्तावेजों का चार्ट

प्रदर्श क्र.	प्रदर्श का विवरण	किसके द्वारा प्रमाणित/अनुप्रमाणित
प्र०पी० 01	मुखबीर सूचना पंचनामा	**असा 01 , असा 02 अप्रमाणित है ।**
प्र०पी० 02	जप्ती पत्रक	**असा 01 , असा 02 अप्रमाणित है ।**
प्र०पी० 03	गिरफ्तारी पत्रक	**असा 01 , असा 02 अप्रमाणित है ।**
प्र०पी० 04	पुलिस बयान	असा 01 अप्रमाणित
प्र०पी० 05	पुलिस कथन	असा 02 अप्रमाणित

भौतिक वस्तुओं/मद्दामाल का चार्ट

भौतिक वस्तु (M.O.) क्र.	प्रदर्श का विवरण	किसके द्वारा प्रमाणित/ अनुप्रमाणित
01.	एक पीला रंग के 20 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिकजेरीकेन के अंदर झिल्ली में अंदर करीब 17 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब	असा 01 , असा 02 **अप्रमाणित है ।**

Sd/-
20/01/26

पुनीत राम गुरुपंच
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भटगांव, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

//निर्णय//

(आज दिनांक 20/07/2026 को घोषित)

---

1. अभियुक्त /आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) छ.ग. आबकारी अधिनियम के तहत आरोप है कि उसने घटना दिनांक 25/09/2021 को समय 16.30 बजे घटना स्थान आरोपी का बाड़ी ग्राम गाड़ापाली अन्तर्गत थाना सरसीवा में बीना किसी अनुज्ञप्ती के अवैध रुप से एक पीला रंग के प्लास्टिक जेरीकेन के अंदर झिल्ली में 20 लीटर क्षमता वाली अंदर करीब 17 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब को विक्रय के प्रयोजन से अपने आधिपत्य मे रखा था जो कि छ०ग० आबकारी अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये उपबंध, नियम,अधिसूचना या अन्य अनुज्ञप्ति के उल्लंघन में अवैध रूप से विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे पाये गये ।

2. प्रकरण में महत्वपूर्ण **स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं** है ।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.09.2021 को हमराह प्रधान आरक्षक 73, 857,महिला आरक्षक 769 शासकीय वाहन में देहात पेट्रोलिंग रवाना हुआ था । जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम गाड़ापाली में राजपाल उर्फ विक्की रात्रे भारी मात्रा अवैध रूप से महुआ शराब छिपा कर रखा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहन को धारा 160 जाफौ का नोटिस देकर मौका घटना ग्राम गाड़ापाली आरोपी का घर बाड़ी पहुंचकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही करने पर आरोपी राजपाल उर्फ विक्की रात्रे पिता स्व मनोहर रात्रे उम्र 20 वर्ष साकिन गाड़ापाली थाना सरसींवा जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ के द्वारा आंगन में एक पीला रंग के पांच लीटर प्लास्टिक जेरीकेन के अंदर भरा करीब 17 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब किमती 600/– रूपये को पेश करने पर आरोपी को मौके पर धारा 91 जाफौ का नोटिस देकर शराब रखने एवं बिक्री करने संबंधी कागजात पेश करने पर कहने पर कोई कागजात नहीं

20/07/26
पुनीत राम गुरुपंच
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भटगांव, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

होना लिखित में देने पर आरोपी के कब्जे से उक्त 17 लीटर कच्ची महुआ शराब को मुताबिक जप्ती पत्रक के समक्ष गवाहन जप्त किया गया ।

4. आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटना घटित करना पाये जाने से दिनांक 25.09.2021 के 16.30 बजे मुताबिक गिरफ्तारी किया गया, विवेचनाकर्ता ने अपने विवेचना के दौरान मुखबीर सूचना पंचनामा,धारा 160 जाफौ का नोटिस, जप्ती पत्रक की कार्यवाही की है । पश्चात सम्पूर्ण विवेचना एवं संकलित साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटना करना सिद्ध पाये जाने से अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया है ।

5. प्रकरण में अभियोग पत्र के परिशीलन पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध धारा 34(2)क छ.ग. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आरोप विवरण विरचित कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छया अपराध से इंकार किया तथा विचारण चाहा । आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया ।

6. प्रकरण में साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध प्रगट हुए प्रतिकूल तथ्यों के संबंध में अभियुक्त का धारा 313 जाफौ बीएनएसएस के अंतर्गत अभियुक्त कथन लिया गया, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया तथा प्रतिरक्षा में प्रवेश कराये जाने पर प्रतिरक्षा साक्ष्य देने से इंकार किया।

<u>प्रकरण के समुचित निराकरण के लिये निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न अवधारित किये गये हैं–</u>

1. "क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 25/09/2021 को समय 16.30 बजे घटना स्थान आरोपी का बाड़ी ग्राम गाड़ापाली अन्तर्गत थाना

20/07/26

सरसीवा में बीना किसी अनुज्ञप्ती के अवैध रुप से एक पीला रंग के प्लास्टिकजेरीकेन के अंदर झिल्ली में 20 लीटर क्षमता वाली अंदर करीब 17 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब को विक्रय के प्रयोजन से पाये गये, जो कि छ०ग० आबकारी अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये उपबंध, नियम,अधिसूचना या अन्य अनुज्ञप्ति के उल्लंघन में अवैध रूप से विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे पाये गये ?"

2. पूर्व दोषमुक्ति या दोषसिद्धी ?

//विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष//

7. अभियोजन द्वारा अपना प्रकरण साबित करने के लिये अ.सा. 01 बालाराम रात्रे , अ.सा. 02 सुकलाल अजय को अभियोजन साक्ष्य के रुप में प्रस्तुत किया है ।

8. प्रकरण में असा 01 बालाराम रात्रे का कथन है कि वह आरोपी को जानता पहचानता है, तथा **अ.सा. 04 सुकलाल अजय** ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता पहचानता नहीं है । असा 01एवं असा 02 का कथन है कि घटना की कोई जानकारी नहीं है तथा उसके समक्ष कोई पुलिस कार्यवाही नहीं हुयी थीं । नोटिस प्र०पी० 01, जप्ती पत्रक प्र०पी० 02, गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी० 03 दिखाए जाने पर अ से अ भाग एवं ब से ब भाग पर अपने हस्ताक्षर होने से इन्कार किया है, इस प्रकार उक्त दोनों साक्षियों के बयान से यह दर्शित है कि उनके समक्ष विवेचना कार्यवाही संदेहपूर्ण है, अभियोजन को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं होने के कारण अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है ।

9. अभियोजन साक्षी असा 01 एवं असा 02 के न्यायालयीन प्रतिपरीक्षण को पूर्णता अस्वीकार किया है, जिससे प्रकरण संदेहपूर्ण हो चूका है, तथा प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध के आवश्यक तत्वों की पूर्ति नहीं हो रहा है । इस प्रकार प्रकरण

20/01/24
पुनीत राम गुरुपंच
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भटगांव, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

में जप्ती व अन्य विवेचना कार्यवाही की पुष्टि नहीं होने से आरोपी के आधिपत्य से कच्ची महुआ शराब की जप्ती कार्यवाही **प्रमाणित नहीं** हो रही है ।

10. अतः उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 34(2) छ.ग. आबकारी अधिनियम का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि *अभियुक्त ने घटना दिनांक 25/09/2021 को समय 16.30 बजे घटना स्थान आरोपी का बाड़ी ग्राम गाड़ापाली अन्तर्गत थाना सरसीवा में बीना किसी अनुज्ञप्ती के अवैध रुप से एक पीला रंग के प्लास्टिकजेरीकेन के अंदर झिल्ली में 20 लीटर क्षमता वाली अंदर करीब 17 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब को विक्रय के प्रयोजन से पाये गये जो कि छ०ग० आबकारी अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये उपबंध, नियम, अधिसूचना या अन्य अनुज्ञप्ति के उल्लंघन में अवैध रूप से विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे पाये गये* इसलिये विचारणीय बिन्दु क्रं. 01 का निष्कर्ष **प्रमाणित नहीं** में दिया जाता है । विचारणीय बिंदू 02 के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिये विचारणीय बिन्दु क्रं. 02 का निष्कर्ष **प्रमाणित नहीं** में दिया जाता है । प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध के आवश्यक तत्वों की पूर्ति नहीं हो रही है, अतः आरोपी राजपाल उर्फ विक्की रात्रे को संदेह का लाभ देते हुये धारा 34(2) छ.ग. आबकारी अधिनियम के अपराध में **दोषमुक्त** कर स्वतंत्र किया जाता है ।

11. अभियुक्त के पूर्व मुचलके धारा 437 द०प्र०सं० के अनुपालन में निर्णय दिनांक से छः माह तक प्रभावशील रहेगा । तत्पश्चात स्वमेव निरस्त मानी जावे ।

12. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक पीला रंग के प्लास्टिक जेरीकेन के अंदर झिल्ली में 20 लीटर क्षमता वाली अंदर करीब 17 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब को मूल्यहीन होने के कारण अपील अवधि पश्चात अपील न होने पर नष्ट की जावे तथा अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकृत की जावें ।

Sd/-
20/01/22

पुनीत राम गुरुपंच
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भटगांव, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

13. प्रकरण में अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि के संबंध में धारा 428 द०प्र०सं० के अनुपालन में प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे ।

स्थानः– भटगांव

दिनांकः– 20-07-2026

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

उसके निर्देशन पर टंकित किया गया।

sd/-

(पुनीत राम गुरुपंच)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भटगांव जिला रायगढ (छ.ग.)

sd/- 20/07/26

(पुनीत राम गुरुपंच)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भटगांव जिला रायगढ (छ.ग.)

न्यायालय–पुनीत राम गुरुपंच, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भटगांव (छ.ग.)

अपराध क्रमांक 259/2021

थाना सरसीवा

// अभिरक्षा अवधि के संबंध में धारा 428 द०प्र०सं० के तहत प्रमाण पत्र//

क्र	आरोपी का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर मुक्त होने का दिनांक	आरोपित अपराध	दोषमुक्ति या दोषसिद्धी	दी गई सजा	धारा 428 दप्रसं के प्रयोजन के लिये विचारण के दौरान की निरोध की अवधि
1	राजपाल उर्फ विक्की रात्रे पिता मनोहर रात्रे, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम– गाड़ापाली, थाना सरसीवा जिला सारंगढ बिलाईगढ (छ.ग.)	28/09/2021	30/09/2021	34(2) छ.ग. आबकारी अधिनियम	दोषमुक्त	निरंक	02 दिवस

(पुनीत राम गुरुपंच)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
भटगांव जिला रायगढ (छ.ग.)